



केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of which application is made for copy accompanied by the requisite stamps.	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नकल बापिस दिए जाने की तारीख Date of delivery of copy.	नकल बापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
<p>11028 1-7-13</p>	<p>2-7-13</p>	<p>2-7-13</p>	

नकल आदेश 1-7-13 अखिल भारतीय किसान-युवक  
 संघ 19 सित 13 का कार्यालय 143 लोकोमोटिव  
 स्टेशन - अकाली विजयपुरवां आना-बादमा-चकोरी  
 अकाली बराम्हा रोड  
 आनामय - अखिल भारतीय किसान-युवक  
 संघ - 1-7-13

Manager/Secretary  
 Mr. Vilas Singh



न्यायालय उप जिलाधिकारी चक्रिया, जनपद-चंदौली ।  
 बाट सं०- 19 तन 2013 अन्तर्गत धारा 143 ज०बि०अ०  
 मौजा बिजयपुरबा पट्टी महिला तहसील चक्रिया, जिला चंदौली ।  
 स्व० रामबिलास सिंह शिक्षण संस्थान जयधामचिब झरबली सिंह बनाम सरकार

निर्णय

इस बाट में स्व० रामबिलास सिंह पुत्र शिक्षण संस्थान जरिये सचिव झरबली सिंह पुत्र बकील सिंह निवासी तिघरा पट्टी मेहरा तहसील चक्रिया ने टका 143 ज०बि०अ० अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र देकर कहा है कि मौजा बिजयपुरबा में स्थित आ०नं० 58 रकबा 0.329 50 रकबा 0.228 हे०, 62 रकबा 0.262 हे०, 61 रकबा 0.233 हे०, 63 रकबा 0.718 हे० का वह संक्रमणीय भूमिधर है। इसके द्वारा आ०नं० 57 रकबा 0.310 हे० का बैनामा शान्ति देजा से लिया गया है तथा आ०नं० 57 रकबा 0.253 हे० का बैनामा खलीउल्ला पुत्र मुहम्मददीन लिया गया है व आ०नं० 66 रकबा 0.166 हे० का बैनामा गरीब पुत्र बेवई तथा आ०नं० 67 रकबा 0.006 हे० का बैनामा शम्शेर बहादुर पुत्र जैनुल आबादी तथा 67 रकबा 0. का बैनामा जैनुल आबादी पुत्र बीबी मुहम्मद से लिया गया है जिस पर बादी का विज है हम बादी द्वारा शिक्षण संस्था हेतु बिद्यालय भवन व परिसर का निर्माण करा कर पंज. पाठन कराया जा रहा है तथा उपरोक्त भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु नहीं हो रहा है। चूंकि उपरोक्त भूमि का उपयोग कृषि कार्य हेतु नहीं किया जाता है इसलिये इन भूमि को अकृषिक आबादी घोषित किया जाय ।

बादी के प्रार्थना-पत्र पर तहसीलदार से रिपोर्ट मंगायी गयी। तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बाट धंजीकृत किया गया तथा बादी का लिखितनाइस लिया गया। बाट ने अपने लिखित ताहस के रूप में आकार पत्र 41 मौजा बिजयपुरबा बाबत आ०नं० 67 रकबा 0.73, 102, 103, 134 की नकल आकार पत्र 41 मौजा बिजयपुरबा बाबत आ०नं० 58, 59, 61 व 63 की नकल व आकार पत्र 41 मौजा बिजयपुरबा बाबत आ०नं० 12, 60 क र क 72 क 74 क की नकल व आकार पत्र 45 मौजा बिजयपुरबा बाबत आ०नं० 48, 53, 165, व 205 व 7 242 व 243 की नकल व नकल इन्तखार खतौनी 1404 से 1409 पर बाबत खाता सं० 20, 3 74, 101, 125 टांकित किया है। इस बाट में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.6.2013 जो तहसीलदार चक्रिया द्वारा 28.6.2013 को अग्रतारिका की गयी है, में है कि आराजी नांवर 57 रकबा 0.253, 60 रकबा 0.166, 57 रकबा 0.310 हे०, 5 रकबा 0.329, 59 रकबा 0.228, 62 रकबा 0.262, 61 रकबा 0.233 व 63 रकबा 0.718 हे० आकार पत्र 45 से खिलान किया गया। मौके पर स्व० रामबिलास सिंह शिक्षण संस्थान व कलेज का निर्माण व निर्माणाधीन बनाया गया जिसमें स्कूल के भवन बने हुये है तथा इस भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है। इस भूमि को टका 143 ज०बि०अ० के अन्तर्गत अकृषि आबादी दर्ज करने की संस्तुति प्रस्तुत किया है।

इस बाट को सुना तथा पत्राबली का सम्बन्ध अवलोकन किया। पत्राबली में दिनांक 25 2013 में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आ०नं० 58 रकबा 0.329 हे०, 59 रकबा 0.228 हे०, 62 रकबा 0.262, 61 रकबा 0.233, 63 रकबा 0.718, 57 रकबा 0.253 हे० व 57 रकबा 0.310 हे० आकार पत्र 45 से खिलान किया गया। मौके पर स्व० रामबिलास सिंह शिक्षण संस्थान जरिये सचिव झरबली सिंह पुत्र बकील सिंह निवासी तिघरा पट्टी मेहरा तहसील चक्रिया ने टका 143 ज०बि०अ० अन्तर्गत अकृषि आबादी दर्ज करने की संस्तुति प्रस्तुत किया है। इस बाट में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.6.2013 जो तहसीलदार चक्रिया द्वारा 28.6.2013 को अग्रतारिका की गयी है, में है कि आराजी नांवर 57 रकबा 0.253, 60 रकबा 0.166, 57 रकबा 0.310 हे०, 5 रकबा 0.329, 59 रकबा 0.228, 62 रकबा 0.262, 61 रकबा 0.233 व 63 रकबा 0.718 हे० आकार पत्र 45 से खिलान किया गया। मौके पर स्व० रामबिलास सिंह शिक्षण संस्थान व कलेज का निर्माण व निर्माणाधीन बनाया गया जिसमें स्कूल के भवन बने हुये है तथा इस भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है। इस भूमि को टका 143 ज०बि०अ० के अन्तर्गत अकृषि आबादी दर्ज करने की संस्तुति प्रस्तुत किया है।

Manager Secretary  
 Lt. Ram Vilas Singh  
 District Office

आदेश

मतः मीजा बिजयपुरवा पट्टी महिला तहसील चकिया में स्थित आराजी नम्बर 57ग रकबा 0.253, 50रकबा 0.329, 58रकबा 0.229, 62रकबा 0.262, 61रकबा 0.233 63 रकबा 0.718हे० व 60ख रकबा 0.166हे० व 57ग रकबा 0.310हे० को अद्वितीय आबादी दर्ज किया जाय। आराजी नम्बर 57ख रकबा 0.253हे०, 58रकबा 0.329हे०, 5 रकबा 0.229हे०, 62रकबा 0.262हे०, 61रकबा 0.233हे०, 63रकबा 0.718हे० से स्व० बिलास सिंह शिक्षण संस्थान तिकन्दरपुर करिये तखिब क्षत्रबली सिंह पुत्र बकील सिंह नि तिघरी तहसील चकिया को लगान से मुक्त किया जाता है व आराजी नम्बर 60 ख 0.166हे० से बी०टी०सी० कालेज बास्ती स्व० रामबिलास सिंह रजुकेशनल इस्टी स्थान पुत्र बकील सिंह निवासी तिघरी तहसील चकिया को लगान से मुक्त किया जाता है व आराजी नम्बर 57ग रकबा 0.310हे० से बी०टी०सी० कालेज बास्ती स्व० रामबिलास रजुकेशनल इस्टी क्षत्रबली सिंह पुत्र बकील सिंह निवासी तिघरी को लगान से मुक्त किया जाता है। आदेश एक प्रति सब रजिस्ट्रार चकिया को निःशुल्क रजिस्ट्री हेतु भेजा जा परमाना जारी हो। बाद आवश्यक कार्रवाई पत्राबली टाकिये दफतर की जाय।

*(Signature)*  
उप जिलाधिकारी  
चकिया।

बनाम 10919  
10919/84  
214mm/1075 - RA



3  
27  
जिला - चकिया

*(Signature)*  
Secretary  
singh